

डिकरी व मुकदमे इन्दादाई
(आर्डर 20 रूल 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत

(Civil Procedur Code Appndix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

केकड़ी

प्रारम्भिक डिकरी

व इजलास श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
राजस्व वाद पत्र संख्या 76/2021(2021/154)

1. सज्जन पुत्र धीसा
2. कैलाश पुत्र धीसा

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र धीसालाल खटीक
निवारी कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।
3. उप पंजीयक कादेड़ा जिला - अजमेर - प्रतिवादीगण
4. श्रीमति रामबच्छदेवी पत्नि स्व० रामदेव
5. पुजा पुत्री स्व० रामदेव
6. पुष्पा पुत्री स्व० रामदेव
7. मुकेश पुत्र स्व० रामदेव
8. महेन्द्र पुत्र स्व० रामदेव
9. श्रीमति सजनी पत्नि श्री सायर
10. लेखराज पुत्र स्वर्गीय सायर
11. रेखा पुत्री स्वर्गीय सायर
12. भैरूलाल पुत्र स्व० सायर समस्त जाति खटीक

निवासीगण कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादपत्र अंतर्गत धारा 53,188,92ए राज० काश्त० अधिनियम, सपटित

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बन्दाजिरी श्री हनुमान शर्मा मिनजानिव मुददई व सुरेन्द्र सिंह पंवार मिनजानिव मुददावलाह पेश होकर हुक्म दिया जा... व डिकरी दी जाती है कि वादी का व ग्राम कादेड़ा की जमावंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या नया-पुराना 48-666 किता 09 रकवा 03.8600 है० पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। इस आराजीयात का विधिक बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर 300/रु की फीस पर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क वादी जमा करावे। बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मेन्युअल की धारा 18 से 21 की पालना मे राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित प्रपत्र मे पक्षकारान की उपस्थिति दर्ज कर मिट्स एण्ड वाउण्डस् के आधार पर तैयार करे व इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। नक्शा ट्रेस मे वादी व प्रतिवादीगण का अलग अलग हिस्सा अलग अलग रंग से दर्शित किया जावे।

चीज मुवलिक..... बायत्.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक..... को अदा करे



यह मुकदमा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.07.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

	रुपया	पैसा	मुदयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिफेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।